नवधृति
मानवाधिकार समाचार
PRGI No. RJBIL/26/A0880
NEWS
सच साहस न्याय की खबर
हिन्दी मासिक पत्रिका
वर्ष : 1 अंक : 01 सम्पादक: श्रवण पंवार, जयपुर मो.: 9251130059 जयपुर, 1 अप्रेल, 2026

क्या है...?
हमारे और आपके अधिकार...!

www.nms.news We are at- E-mail: info@nms.news @gmail.com

हमारे रिपोर्टर सहयोगी

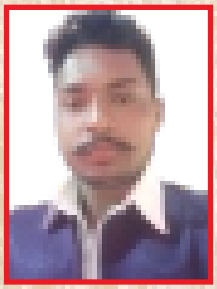

हजारीमल प्रजापत
आमेर (राज.)

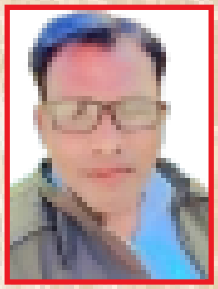

हिरालाल
प्रतापगढ़ (राज.)

सुनील कुमार
बाड़मेर (राज.)

खिमराज गहलोत
बालोतरा (राज.)

त्रिभुवनदास जी
राजस्थान

बिरमदास
चोमू (राज.)

रामचन्द्र कागढ
नागौर (राज.)

दिनेश कुमार
अलवर (राज.)

बृजेश कुमार राय
जयपुर (राज.)

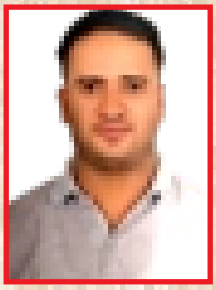

अशोक कुमार
जयपुर (राज.)

बलबहादुर सिंह
इन्दोर (म.प्र.)

शेलेन्द्रसिंह
इन्दौर (म.प्र.)

अंतिका सेनगर
इन्दौर (म.प्र.)

तौफीक आलम
शियोपुर (म.प्र.)

पुनीत
शिमला (हिमाचल)

चंचल कुमार झा
सीता मडी (बिहार)

सुरेश भाई
राजकोट (गुज.)

महादेव पंवार
सॉफ्टवेयर इंजीनियर व डवलपर्स

नवधृति

मानवाधिकार समाचार

सच साहस न्याय की खबर

PRGI No. RJBIL/26/A0880

प्रकाशक— श्रवण पंवार, जयपुर

वर्ष : 01 अंक : 01 दिनांक : 1 अप्रेल, 2026

हिन्दी मासिक पत्रिका
के सदस्य शुल्क का विवरण

NAVDHRITI MANAVADHIKAR NEWS
SACH SAAHAS NYAAY KEE KHABAR SAMACHA

सदस्यता शुल्क (वार्षिक)
1000/- रुपये पोस्टेज सहित

प्रकाशक एवं सम्पादक
श्रवण पंवार
जयपुर (राजस्थान)

जयपुर कार्यालय
पथ-6, प्लॉट नं-39, नियर खेतान हॉस्पीटल, विजयवाड़ी, सीकर रोड़, जयपुर (राज.) 302039
मो.: 9251130059
www.nms.news
E-mail: info@nms.news

कम्प्यूटर डिजाईनिंग
जयते प्रिंटर्स मो.: 7790990770

नोट- **समस्त विवाद जयपुर न्यायालय के अंतर्गत**

विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
01	सम्पादकीय	01
02	मानव अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1993	02
03	मानवाधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकार	15
04	हमारे मौलिक अधिकार : विस्तृत जानकारी	16
05	महिला के अधिकार: विस्तृत जानकारी	17
06	बाल अधिकार: विस्तृत जानकारी	18
07	वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार: विस्तृत जानकारी	19
08	सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, श्रमिक अधिकार : विस्तृत जानकारी	20
09	उपभोक्ता अधिकार : विस्तृत जानकारी	21
10	पुलिस शिकायत कैसे करें? : एक मार्गदर्शन	22
11	एफ आई आर और कानूनी सहायता	23

स्वत्वाधिकारी, मालिक, प्रकाशक व सम्पादक श्रवण कुमार पंवार के लिए प्रिन्टर्स (मुद्रक) विरेन्द्र प्रकाश हलचल, विजय पथ, धानी नगर, श्याम नगर, फुलेरा, जयपुर (राजस्थान) से मुद्रित एवं लखेरा शक्ति क्रियेशन प्रा.लि., सी-1 सुदर्शनपुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, 22 गोदाम, जयपुर (राज.) 302039 से प्रकाशित

नवधृति मानवाधिकार समाचार : प्रथम अंक

प्रिय पाठकों,

आप सभी के हाथों में 'नवधृति मानवाधिकार समाचार' का पहला अंक सौंपते हुए हमें गर्व, संतोष और जिम्मेदारी- तीनों का अनुभव हो रहा है। यह केवल एक समाचार पत्र या पत्रिका नहीं है, बल्कि समाज के उन लोगों की आवाज़ है, जिनकी समस्याएं अक्सर अनसुनी रह जाती हैं।

आज के समय में मानवाधिकार केवल एक कानूनी विषय नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के सम्मान, सुरक्षा, समानता और न्याय का प्रश्न बन चुका है। समाज में आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने अधिकारों से वंचित हैं- चाहे वह शिक्षा का अधिकार हो, महिला सुरक्षा का विषय हो, बुजुर्गों का सम्मान हो, दिव्यांगजनों की समस्याएं हों, श्रमिकों के अधिकार हों, किसानों की परेशानियां हों या फिर बच्चों के भविष्य का सवाल हो।

'नवधृति मानवाधिकार समाचार' का उद्देश्य केवल खबरें प्रकाशित करना नहीं है, बल्कि हर उस मुद्दे को सामने लाना है जो समाज और मानवता से जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि यह मंच आम नागरिकों, युवाओं, महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और जागरूक लोगों के लिए एक मजबूत माध्यम बने।

हमारा प्रयास रहेगा कि हम समाज के हर वर्ग की समस्याओं, उपलब्धियों, संघर्षों और प्रेरणादायक कहानियों को निष्पक्षता और सत्यता के साथ आपके सामने रखें। हम उन लोगों तक भी पहुंचना चाहते हैं जिनकी आवाज़ अक्सर बड़े मंचों तक नहीं पहुंच पाती।

इस प्रथम अंक के माध्यम से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। यह शुरुआत केवल एक प्रकाशन की नहीं, बल्कि एक ऐसे अभियान की है जिसमें हर नागरिक को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना शामिल है।

हम अपने सभी पाठकों, सहयोगियों, पत्रकार साथियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग और विश्वास से यह पहला अंक संभव हो सका है।

हमें विश्वास है कि 'नवधृति मानवाधिकार समाचार' आने वाले समय में समाज के लिए एक सशक्त, निष्पक्ष और विश्वसनीय मंच के रूप में अपनी पहचान बनाएगा।

आइए, हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को सम्मान, न्याय और समान अवसर प्राप्त हो।

धन्यवाद।

–संपादक

नवधृति मानवाधिकार समाचार

जयपुर

मानव अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1993

(1994 का अधिनियम संख्यांक 10)

(8 जनवरी, 1994)

मानव अधिकारों के अधिक अच्छे सरंक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (1)– इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार सरंक्षण अधिनिगम, 1993 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह 28 सितम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं (1)– इस अधिनियम मेंए जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) 'सहसस्त्र बल' से नौसेना, सेना और वायु सेना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल है;

(ख) अध्यक्ष से यथास्थिति, आयोग का या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है,

[2][(खक) 'मुख्य आयुक्त' से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 74 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है:]

(ग) 'आयोग' से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है;

(घ) 'मानव अधिकार' में प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा में संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं,

(ड) 'मानव अधिकार न्यायालय' से धारा 30 के अधीन विनिर्दिष्ट मानव अधिकार न्यायालय अभिप्रेत है।

[3][(च) 'अन्तरराष्ट्रीय प्रमविदा' से संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसंबर, 1966 को अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई ऐसी अन्य प्रसंविदा या अभिसमय, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है:]

[2][(छ) 'सदस्य' से, यथास्थिति, आयोग का या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है;]

[1][(छक) 'राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अभिप्रेत है;

(ज) 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अभिप्रेत हैं।

[1][(जक) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है]

[2][(झ) 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' से संविधान के अनुच्छेद 338 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभिप्रेत हैं

(झक) 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' से संविधान के अनुच्छेद 338क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अभिप्रेत है;]

---

[1]2019 के अधिनियम सं॰ 34 की बारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा (31.10.2019 में) जम्मू-करमीर राज्य के सिवाय शब्दों का लोप किया गया।

[2]2019 के अधिनियम सं॰ 19 की धारा द्वारा अंतःस्थापित।

[3]2006 के अधिनियम सं॰ 43 की धारा2 के द्वारा प्रतिस्थागित।

(ञ) 'राष्ट्रीय महिला आयोग' से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत हैं;

(ट) 'अधिसूचना' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है,

(ठ) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(ड) 'लोक सेवक' का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 में है:

(ढ) 'राज्य आयोग' से धारा 21 के अधीन गठित राज्य मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है।

(2) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, प्रति किसी निर्देश का उस राज्य के संबंध में, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश है।

अध्याय 2

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

3. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन— (1) केन्द्रीय सरकार, एक निकाय का, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से ज्ञात होगा, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए, गठन करेगी।

(2) आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगाए अर्थात्–

(क) एक अध्यक्ष, जो [1][उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति] रहा है।

(ख) एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है;

(ग) एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है:

(घ) [2][तीन सदस्य, जिनमें से कम से कम एक सदस्य महिला होगी], जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।

(3) [3][राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग], [4][राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग] और [5][राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त]। धारा 12 के खंड (ख) से खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे।

(4) एक महासचिव होगा, जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और यह [6][अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, आयोग की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों (सिवाय न्यायिक कृत्यों और धारा 40ख के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के) का प्रयोग करेगा।]

(5) आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन में, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

4. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति (1)- राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा।

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्–

(क) प्रधानमंत्री	–अध्यक्ष;
(ख) लोक सभा का अध्यक्ष	–सदस्य;
(ग) भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भारसाधक मंत्र	–सदस्य;
(घ) लोक सभा में विपक्ष का नेता	–सदस्य;
(ङ) राज्य सभा में विपक्ष का नेता	–सदस्य;
(च) राज्य सभा का उप सभापति	–सदस्य;

[1]2019 के अधिनियम सं॰ 19 की धारा 3 द्वारा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[2]2019 के अधिनियम सं॰ 19 की धारा 3 द्वारा दो सदस्य शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3]2019 के अधिनियम सं॰ 19 की धारा 3 द्वारा राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[4]2006 के अधिनियम सं॰ 43 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
[5]2019 के अधिनियम सं॰ 19 की धारा 3 द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[6]2019 के अधिनियम सं॰ 19 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
[7]2006 के अधिनियम सं॰ 43 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु यह और कि उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगाए अन्यथा नहीं।

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि ने [2][उपधारा (1) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट समिति में किसी सदस्य की कोई रिक्ति है।]

[1][**5. अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना—** (1) अध्यक्ष या कोई सदस्य] राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(2) उपधारा(3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् किया गया है कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्यए.–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है, या

(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है; या

(ग) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(घ) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है; या

(ङ) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है जिसमें, राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है, तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा।]

[2][**6. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि—** (1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से [3][तीन वर्ष] की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना [4][और वह पुनः नियुक्ति के लिए पाय होगा]।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से [3][तीन वर्ष] की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा [5]*** पुनर्नियुक्ति का पात्र होगाः

परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद पर न रह जाने पर, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा।]

7. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन— (1) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में, राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐगी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती।

(2) जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण गा अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है।

[6][**8. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें—** अध्यक्ष और सदस्यों को सदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं:

परन्तु अध्यक्ष और किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।]

9. रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना— आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य

[1]2006 में अधिनियम सं॰ 43 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2]2006 के अधिनियम सं॰ 43 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
[3]2019 के अधिनियम सं॰ 19 की धारा 4 द्वारा पांच वर्ष नब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[4]2019 के अधिनियम सं॰ 19 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।
[5]2019 के अधिनियम सं॰ 19 की धारा 4 द्वारा 'पांच वर्ष की और अवधि के लिए' शब्दों का लीग किया गया।
[6]2006 अधिनियम सं॰ 43 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

10. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना—

(1) आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा] जो अध्यक्ष ठीक समझे।

[1][(2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग को अपनी प्रक्रिया के लिए विनियम अधिकथित करने की शक्ति होगी।]

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

11. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द—

(1) केन्द्रीय सरकार, आयोग को,–

(क) भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी, जो आयोग का महासचिव होगा, और

(ख) ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे पुलिग और अन्वेषण कर्मचारिवृन्द तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द, जो आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों, उपलब्ध कराएगी।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

अध्याय 3

आयोग के कृत्य और शक्तियां

12. आयोग के कृत्य— आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्–

(क) स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर के किसी व्यक्ति द्वारा या उच्च न्यायालय या उच्चत्तम न्यायालय के निदेश पर उसको प्रस्तुत की गई अर्जी पर,–

मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की; या

(क) ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा उपेक्षा की, शिकायत के बारे में जांच करना;

(ख) किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्वलित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना;

[3][(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरद्ध गा दाखिल किए जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए, निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना;]

(घ) संविधान या मानव अधिकारों के सरंक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(ङ) ऐसी बातों का, जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं, और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती हैं, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना;

(च) मानव अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना;

(छ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुगंधान करना और उराका संवर्धन करना;

(ज) समाज के विभिन्न वगों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार, माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरुकता का संवर्धन करना;

(झ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयागों को उत्साहित करना;

---

[1]2006 के अधिनियम सं० 43 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2]2006 के अधिनियम सं० 43 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित।

[3]2006 के अधिनियम सं० 43 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ञ) ऐसे अस्य कृत्य करना, जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

13. जांच से संबंधित शक्तियां— (1) आयोग को, इस अधिनियम के अधीन शिकायतों के बारे में जांच करते समय और विशिष्ट तथा निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो सिबिल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात्–

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साध्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय में कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना;

(ङ) साथियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से, ऐसे किसी विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए, जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर इत्तिला देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी हों, या उससे सुसंगत हों और जिस व्यक्ति से, ऐसी अपेक्षा की जाए, यह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 176 और धारा 177 के अर्थ में ऐसी इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा।

(3) आयोग या आयोग द्वारा इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत कोई ऐसा अन्य अधिकारी, जो राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंधों के, जहां तक के लागू हों, अधीन रहते हुए, किसी ऐसे भवन या स्थान में, जिसकी बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की विषय वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज वहां पाया जा सकता है, प्रवेश कर सकेगा और किसी ऐसे दस्तावेज को अभिगृहीत कर सकेगा अथवा उससे उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां ले मरेगा।

(4) आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और जब कोई ऐसा अपराध, जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित है, आयोग की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में किया जाता है, तब आयोग, अपराध गठित करने वाले तथ्यों तथा अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात्, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में उपबंधित है, उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता है और वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 346 के अधीन उसको भेजा गया हो।

(5) आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिताए 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

[1][(6) जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझता है, वहां वह आदेश द्वारा, उसके समक्ष फाइल की गई या लम्बित किसी शिकायत को उस राज्य के राज्य आयोग को, जिससे इस अधिनियम के उपवन्धों के अनुसार निपटारे के लिए शिकायत उद्भूत होती है, अन्तरित कर सकेगा।

परन्तु ऐसी कोई शिकायत तब तक अन्तरित नहीं की जाएगी जब तक कि वह शिकायत ऐसी न हो जिसके संबंध में राज्य आयोग को उसे ग्रहण करने की अधिकारिता न हो।

(7) उपधारा (6) के अधीन अन्तरित की गई प्रत्येक शिकायत पर राज्य आयोग द्वारा ऐसे कार्रवाई की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा मानो वह शिकायत आरम्भ में उसके समक्ष फाइल की गई हो।]

14. अन्वेषण— (1) आयोग, जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति में केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

(2) जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए कोई ऐसा अधिकारी या अभिकरण, जिसकी

[1]2006 अधिनियम सं० 43 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित।

सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है, आयोग के निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए–

(क) किसी व्यक्ति को समन साक्ष्य कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रक्ट और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा; और

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) धारा 15 के उपबंध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में लागू होते हैं।

(4) जिरा अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाता है वह जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर आयोग को ऐसी अवधि के भीतर, जो आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, रिपोर्ट देगा।

(5) आयोग, उपधारा (4) के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट में कथित तथ्यों के और निकाले गए निष्कयों के, यदि कोई हों, सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा है, जिसने या जिन्होंने अन्यवेक्षण किया हो या उसमें सहायता की हो, कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

15. आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन— आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय, उसे किसी सिविल या दांतिक कार्यवाही के अधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रमुक्त नहीं किया जाएगाः परन्तु यह तब जब कि ऐसा कथन–

(क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में किया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए; या

(ख) जांच की विषयवस्तु से सुसंगत है।

16. उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है— यदि जांच के किमी अनुक्रम में,–

(क) आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है; या

(ख) आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना गंभाव्य है,

तो वह उस व्यक्ति को जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

परन्तु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किती साक्षी की विश्वरानीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा है।

अध्याय 4

प्रक्रिया

17. शिकायतों की जांच— आयोग, मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय,–

(1) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से ऐसे समय के भीतर, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगा।

परन्तु,–

(क) यदि आयोग को नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो वह शिकायत के बारे में स्वयं जांच कर सकेगा;

(ख) यदि जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई और जांच अपेक्षित नहीं है अथवा अपेक्षित कार्रवाई संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आरम्भ कर दी गई है या की जा चुकी है तो वह शिकायत के बारे में कार्यवाही नहीं कर सकेगा और शिकायतकर्ता को तद्नुसार सूचित कर सकेगा;

(2) खंड (1) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि आयोग, शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जांच आरम्भ कर सकेगा।

[1][**18. जांच के दौरान और जांच के पश्चात् कार्रवाई—** आयोग, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के दौरान और उसके पूरा होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगाए अर्थात्–

(क) जहां जांच से किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण या मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा या मानव अधिकारों के अतिक्रमण का उत्प्रेरण प्रकट होता है, तो वहां वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को–

[1]2006 के अधिनियम सं० 43 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1) शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को ऐसा प्रतिकर या नुकसानी का संदाय करने की सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग आवश्यक समझे;

(2) संबंधित व्यक्ति वा व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाहियां आरम्भ करने या कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने के लिए, सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग ठीक समझे;

(3) ऐसी अन्य कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे;

(ख) उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को ऐसे निदेश, आदेश या रिट के लिए जो, वह न्यायालय आवश्यक समझे, अनुरोध करना;

(ग) जांच के किसी प्रक्रम पर सम्बद्ध सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अन्तरिम सहायता मंजूर करने की, जो आयोग आवश्यक समझे, सिफारिश करना;

(घ) खण्ड (ङ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जांच रिपोर्ट की प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना;

(ङ) आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित, संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी, एक मास की अवधि के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जो आयोग अनुज्ञात करे, रिपोर्ट पर अपनी टीका-टिप्पणी आयोग को भेजेगा जिसके अन्तर्गत उस पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई है;

(च) आयोग, संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, अपनी जांच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा।]

19. सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया— (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, आयोग, सहस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात्–

(क) आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा;

(ख) रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, आयोग, यथास्थिति, शिकायत के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को तीन मास के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे, सूचित करेगी।

(3) आयोग, केन्द्रीय सरकार को की गई अपनी सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों पर, उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

(4) आयोग, उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति, अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा।

20. आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट— (1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोटों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, यथास्थिति, संसद या राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 5

राज्य मानव अधिकार आयोग

21. राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन— (1) कोई राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन कर सकेगी जिसका नाम....(राज्य का नाम) मानव अधिकार आयोग होगा।

[1][(2) राज्य आयोग ऐसी तारीख में, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, निम्ननिश्चित से मिलकर बनेगा, अर्थात्–

(क) एक अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का [2][मुख्य न्यायमूर्ति या कोई न्यायाधीश] रहा है;

(ख) एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव है;

[1]2006 के अधिनियम सं० 43 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2]2019 के अधिनियम सं० 19 की बारा 5 द्वारा 'मुख्य न्यायमूर्ति' प्रतिस्थापित।

(ग) एक सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में में नियुक्त किया जाएगा जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।]

(3) एक सचिव होगा, जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह [1][अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए राज्य आयोग की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा।]

(4) राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(5) कोई राज्य आयोग केवल संविधान की सातवी अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत मानव अधिकारों के अतिक्रमण किए जाने की जांच कर सकेगाः

परन्तु यदि किसी ऐसे विषय के बारे में आयोग द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी अन्य आयोग द्वारा पहले से ही जांच की जा रही है तो राज्य आयोग उक्त विषय के बारे में जांच नहीं करेगाः

परन्तु यह और कि जम्मू-कश्मीर मानव अधिकार आयोग के संबंध में, यह उपधारा ऐसे प्रभावी होगी मानो 'केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बावत' शब्द और अंकों के स्थान पर 'जम्मू-कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी ने संबंधित विषयों की बाबत और उन विषयों की बाबत जिनके संबंध में उस राज्य के विधान-मंडल को विधियां बनाने की शक्ति है' शब्द और जंक रख दिए गए हों।

[2][(6) दो या दो से अधिक राज्य सरकारे, राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को साथ-साथ अन्य राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकेंगी यदि ऐसा अध्यक्ष वा सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति देता हैः

[3][(7) धारा 12 के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली से भिन्न संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा निर्वहन किए जा रहे मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों को आदेश द्वारा ऐसे राज्य आयोग को सौंप सकेगी।

(8) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र की दशा में मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों के संबंध में आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।]

परन्तु उस राज्य की बाबत जिसके लिए, यथास्थिति, सामान्य अध्यक्ष या सदस्य या दोनों नियुक्त किए जाने हैं इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति धारा 22 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी।]

22. राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति— (1) राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगाः

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्–

(क) मुख्य मंत्री –अध्यक्ष;

(ख) विधान सभा का अध्यक्ष –सदस्य;

(ग) उस राज्य के गृह विभाग का भारसाधक मंत्री –सदस्य;

(घ) विधान सभा में विपक्ष का नेता – सदस्य;

परन्तु यह और कि जहां किती राज्य में विधान परिषद है यहां उस परिषद का सभापत्ति और उस परिषद में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे :

परन्तु यह और भी कि उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगा अन्यथा, नहीं।

(2) राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि [4][उपधारा (1) में निर्दिष्ट रामिति में कोई रिक्ति है।]

---

[1]2019 के अधिनियम सं॰ 19 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2]2006 के अधिनियम सं॰ 43 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित।

[3]2019 के लधिनियम सं॰ 19 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।

[4]2006 के अधिनियम सं॰ 43 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

[5]2006 में अधिनियम सं॰ 43 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

23. [1][राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना]— (1) राज्य आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(1क) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर वह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् किया गया है कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदरय को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।]

(2) [1][उपधारा (1क)] में किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई [1][सदस्य]–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या

(ख) अपनी पदावदि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है; या

(ग) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(घ) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है; या

(ङ) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अन्तर्यरत है, तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या किसी [1][सदस्य] को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा।

[2][24. राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पवावधि— (1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से 3[तीन वर्ष] की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना और बह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।]

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से [3][तीन वर्ष] की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा 5*** पुनर्नियुक्ति का पाय होगाः

परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद पर न रह जाने पर, किसी राज्य की सरकार के अधीन वा भारत सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा।]

25. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उसके कृत्यों का निर्वहन— (1) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में, राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती।

(2) जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है।

[4][26. राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें— (1) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु अध्यक्ष या किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शतों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।]

27. राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द— (1) राज्य सरकार, आयोग को,–

(क) राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी, जो राज्य आयोग का सचिव होगा; और

(ख) ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारिवृन्द तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द, जो राज्य आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों, उपलब्ध कराएगी।

---

[1]2006 के अधिनियम सं॰ 43 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2]2006 के अधिनियम सं॰ 43 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3]2019 के अधिनियम सं॰ 19 की धारा 6 द्वारा पांच वर्ष के शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4]2019 के अधिनियम सं॰ की धारा 6 द्वारा असत्यापित।

[5]2019 के अधिनियम सं॰ 19 की धारा 6 द्वारा 'पांच वर्ष की और अवधि के लिए' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[6]2006 के अधिनियम सं॰ 43 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, राज्य आयोग, ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

28. राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट— (1) राज्य आयोग, राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोटों को राज्य आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, जहां राज्य विधान-मंडल दो सदनों से मिलकर बनता है वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, या जहां ऐसा विधान-मंडल एक सदन से मिलकर बनता है वहां उस सदन के समक्ष, रखवाएगी।

29. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबन्धों का राज्य आयोगों को लागू होना— धारा 9, धारा 10, धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 15, धारा 16, धारा 17 और धारा 18 के उपबन्ध राज्य आयोग की लागू होंगे और वे निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्–

(क) 'आयोग' के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे राज्य आयोग के प्रति निर्देश हैं;

(ख) धारा 10 की उपधारा (3) में, 'महासचिव' शब्द के स्थान पर 'सचिव' शब्द रखा जाएगा;

(ग) धारा 12 के खंड (न) का लोप किया जाएगा;

(घ) धारा 17 के खंड (1) में से 'केन्द्रीय सरकार या किसी' शब्दों का लोप किया जाएगा।

अध्याय 6
मानव अधिकार न्यायालय

30. मानव अधिकार न्यायालय— मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्भुत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा, उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए, प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

परन्तु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी, जब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए–

(क) कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट है; या

(ख) कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है।

31. विशेष लोक अभियोजक— राज्य सरकार, प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम में कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी।

अध्याय 7
वित्त, लेखा और संपरीक्षा

32. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान— (1) केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, ठीक समझे।

(2) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएंगी।

33. राज्य सरकार द्वारा अनुदान (1) राज्य सरकार, विधान-मंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिएए ठीक समझे।

(2) राज्य आयोग, अध्याय 5 के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से मंदेय व्यय मानी जाएंगी।

34. लेखा और संपरीक्षा— (1) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, विहित करे।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, आयोग द्वारा नियंत्रक महालेखापरीक्षक की संदेय होगा।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित, आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, आयोग द्वारा, केन्द्रीय सरकार की प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और केन्द्रीय सरकार ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक मदन के समक्ष रखवाएगी।

35. राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा— (1) राज्य आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, विहित करे।

(2) राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, राज्य आयोग द्वारा नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित बाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और राज्य आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) नियंत्रक-महोलखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राज्य आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, राज्य आयोग द्वारा, राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और राज्य सरकार, ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 8
प्रकीर्ण

36. आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय— (1) आयोग, किसी ऐसे विषय की जांच नहीं करेगा जो तत्समय प्रवृत्त किमी विधि के अधीन सम्यक रूप में गठित किसी राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है।

(2) आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिसको मानव अधिकारों का अतिक्रमण गठित करने वाले कार्य का किया जाना अभिकथित है एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी विषय की जांच नहीं करेगा।

37. विशेष अन्वेषण दलों का गठन— तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक है वहां वह एक या अधिक विशेष अन्वेषण दलों का गठन कर सकेगी, जिनमें उतने पुलिस अधिकारी होंगे जितने वह मानव अधिकारों के अतिक्रमणों से अद्भुत होने वाले अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझती है।

38. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण— इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में अथवा किसी रिपोर्ट, कागज-पत्र या कार्यवाही के केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रकाशन के बारे में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग, राज्य आयोग या उसके किसी सदस्य अथवा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार,

आयोग या राज्य आयोग के निदेशाधीन कार्य करने वाले किमी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

39. सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना— आयोग या राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

40. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति— (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निगम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्–

(क) धारा 8 के अधीन [1][अध्यक्ष और सदस्यों] के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ख) वे शर्तें, जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे तथा धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते;

(ग) सिविल न्यायालय की कोई अन्य शक्ति, जो धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन विहित की जानी अपेक्षित है;

(घ) वह प्ररूप, जिसमें आयोग द्वारा धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने हैं; और

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्रों के अक्सान के पूर्व दोनों सदन उस निगम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्यभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[2][**40 क. भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति—** धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत ऐसे नियमों या उनमें से किसी नियम को भूतलक्षी रूप से किसी ऐसी तारीख से बनाने की शक्ति होगी, जो उस तारीख से पूर्वतर न हो जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, किन्तु किसी ऐसे नियम को ऐसा कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा नियम लागू हो सकता हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।]

[3][**40 ख. आयोग की विनियम बनाने की शक्ति—** (1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनिगमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्–

(क) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा अनुसारित की जाने वाली प्रक्रिया;

(ब) राज्य आयोगों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां और आंकडे;

(ग) कोई अन्य विषय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उन विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसाम के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्यभाव होने से

[1]2006 के अधिनियम सं० 43 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2]2000 के अधिनियम सं० 49 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित्त।
[3]2006 के अधिनियम सं० 43 की धारा 18 द्वारा अंतःस्थापित।
[4]2006 के अधिनियम सं० 43 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित।

उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

41. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए, उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात–

(क) धारा 26 के अधीन [4][अध्यक्ष और सदस्यों] के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ख) वे शर्तें जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द राज्य आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे तथा द्वारा 27 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते;

(ग) वह प्रल्प, जिसमें धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने हैं।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बने हुए प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन है वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधानमंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

42. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति— (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

43. निरसन और व्यावृत्ति— (1) मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्यांक 30) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

BHUMI MARKETING

BhumiMarketing.ingo.gov@gmail.com

आज ही अपने बिजनेस को डीजिटल बनाएं। वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट्सअप ऑटोमेशन, CRM, IVR और लीड स्टिम- सब एक जगह।

आज ही Free Consultation हेतु कॉल करें- 9887700059

आज ही अपने व्यापार को बनाएं डीजिटल

Bhumi Marketing

आपके व्यापार के लिए सम्पूर्ण डीजिटल समाधान प्रदान करता है। हमारी प्रमुख सेवाएँ—

1. Digital Marketing
2. Website Devlopment
3. WhatsApp Marketing
4. C.R.M. (Customer Relationship Management)
5. I.V.R. (Interactive Voice Response)
6. Whatsapp API & Automation
7. Bulk SMS RCS (Transactional & Promotional)

Contact Person- Mahadev Panwar, Jaipur (Raj.)
Mob.: 9887700059 BhumiMarketing.ingo.gov@gmail.com

मानवाधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकार

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक विस्तृत परिचय

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त और स्वतंत्र संस्था की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। यह संस्था देश में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करती है।

स्थापना और कानूनी आधार— राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई। इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों- जैसे जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करना है। यह कानून अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप बनाया गया है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर भी अपनी प्रतिबद्धता दर्शा सके।

संरचना और गठन— आयोग का गठन इस प्रकार किया गया है कि इसमें न्यायिक और मानवाधिकार क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों का समावेश हो। इसका अध्यक्ष आमतौर पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकार क्षेत्र के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। इस संरचना का उद्देश्य आयोग की निष्पक्षता और प्रभावशीलता बनाए रखना है।

कार्य और दायित्व– राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य अत्यंत व्यापक हैं। यह न केवल मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है, बल्कि स्वतः संज्ञान लेकर भी मामलों को उठाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति के साथ पुलिस हिरासत में अत्याचार होता है या किसी जेल में अमानवीय परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, तो आयोग उस मामले की जांच कर सकता है।

आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार को सुझाव देना भी है। यह मानवाधिकारों से संबंधित नीतियों और कानूनों में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है। इसके अतिरिक्त, आयोग जेलों, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों और अन्य निरुद्ध स्थानों का निरीक्षण करता है, ताकि वहाँ रहने वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना भी आयोग की प्रमुख जिम्मेदारी है। यह विभिन्न कार्यक्रमों, सेमिनारों और अभियानों के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है।

शक्तियाँ और अधिकार— राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सिविल न्यायालय के समान कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह गवाहों को बुला सकता है, दस्तावेज़ मांग सकता है और साक्ष्य एकत्र कर सकता है। आयोग अपनी जांच के लिए किसी भी सरकारी या स्वतंत्र एजेंसी की सहायता ले सकता है। जांच पूरी होने के बाद यह अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करता है और आवश्यक कार्रवाई के लिए सिफारिश करता है।

सीमाएँ— हालाँकि आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएँ हैं। इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं, अर्थात् सरकार उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होती। इसके अलावा, सशस्त्र बलों से जुड़े मामलों में आयोग की शक्तियाँ सीमित होती हैं, जिससे कई बार प्रभावी कार्रवाई में बाधा आती है।

महत्व और भूमिका— राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह नागरिकों और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करता है। आयोग के माध्यम से आम नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। यह संस्था प्रशासनिक तंत्र को जवाबदेह बनाती है और न्याय की प्रक्रिया को सुलभ बनाने में सहायता करती है।

निष्कर्ष— अंततः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग न केवल एक संस्था है, बल्कि यह मानव गरिमा और न्याय के संरक्षण का प्रतीक है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार और समाज इसके सुझावों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। यदि आयोग को और अधिक शक्तियाँ तथा संसाधन दिए जाएँ, तो यह भारत में मानवाधिकारों की रक्षा को और अधिक सुदृढ़ बना सकता है।

हमारे मौलिक अधिकार : विस्तृत जानकारी

भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। इस उद्देश्य को साकार करने के लिए भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, बल्कि समाज में समानता, न्याय और गरिमा की स्थापना भी सुनिश्चित करते हैं।

मौलिक अधिकार संविधान के भाग ।।। में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत वर्णित हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ अन्याय न करे और सभी को समान अवसर प्राप्त हों। ये अधिकार नागरिकों को एक सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकें।

मौलिक अधिकारों में सबसे प्रमुख है समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना गया है और धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव निषिद्ध है। इसके साथ ही छुआछूत जैसी कुप्रथा को समाप्त कर समाज में समानता की भावना को बढ़ावा दिया गया है।

दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। यह नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार तथा देश में कहीं भी आने-जाने और बसने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी आता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम जैसे अमानवीय कार्यों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिकार समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत की धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है। इसके तहत प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है, जिससे समाज में धार्मिक सौहार्द बना रहता है।

इसके अलावा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता देते हैं। यह भारत की विविधता को बनाए रखने में सहायक है।

मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। इस अधिकार को डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 'संविधान की आत्मा' कहा था, क्योंकि यही अधिकार अन्य सभी अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है।

हालाँकि, मौलिक अधिकार पूर्णतः असीमित नहीं हैं। देश की सुरक्षाए सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता को बनाए रखने के लिए इन पर कुछ युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में भी कुछ अधिकारों को सीमित किया जा सकता है।

अंततः मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं। ये न केवल नागरिकों को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इन अधिकारों की जानकारी और उनका सही उपयोग ही एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो सकता है।

महिला के अधिकार: विस्तृत जानकारी

भारत में महिलाओं को समाज का महत्वपूर्ण और समान हिस्सा माना गया है। उनके सम्मान, सुरक्षा और समानता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिला अधिकार केवल कानूनी विषय नहीं हैं, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और मानव गरिमा से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

प्राचीन समय से लेकर आधुनिक युग तक, महिलाओं की स्थिति में कई बदलाव आए हैं। पहले उन्हें शिक्षा, संपत्ति और निर्णय लेने के अधिकारों से वंचित रखा जाता था, लेकिन आज कानूनों और जागरूकता के कारण महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। फिर भी, कई क्षेत्रों में अभी भी सुधार की आवश्यकता है।

महिलाओं को सबसे पहले समानता का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुसार, किसी भी महिला के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्हें शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में पुरुषों के समान अवसर प्राप्त हैं। इसके साथ ही, सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएँ भी चलाती है।

महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी समान रूप से प्राप्त है। शिक्षा के माध्यम से ही महिलाएँ आत्मनिर्भर बन सकती हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकती हैं। आज कई महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों- जैसे विज्ञान, राजनीति, खेल और व्यवसाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त, महिलाओं को सुरक्षा और गरिमा का अधिकार प्राप्त है। उनके संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं, जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है, तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम] 2013, जो कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसे सामाजिक अपराधों के विरुद्ध भी कड़े कानून बनाए गए हैं।

महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार का अधिकार भी प्राप्त है। कानून के अनुसार, वे अपने माता-पिता और पति की संपत्ति में समान अधिकार रखती हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और वे आत्मनिर्भर बनती हैं।

राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं। उन्हें मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे उनकी भागीदारी बढ़ी है।

हालाँकि, इन अधिकारों के बावजूद समाज में कई चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, जैसे लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, शिक्षा की कमी और कार्यस्थल पर असमानता। इन समस्याओं को दूर करने के लिए केवल कानून ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज की सोच में भी बदलाव आवश्यक है।

अंततः महिला अधिकार किसी भी समाज की प्रगति का आधार होते हैं। जब महिलाएँ सशक्त और स्वतंत्र होंगी, तभी देश का समग्र विकास संभव होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करे और उनके सशक्तिकरण में योगदान दे।

बाल अधिकार: विस्तृत जानकारी

किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके बच्चों पर निर्भर करता है। बच्चे न केवल समाज की अमूल्य धरोहर होते हैं, बल्कि देश के आने वाले नागरिक भी होते हैं। इसलिए उनके समुचित विकास, सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से भारतीय संविधान तथा विभिन्न कानूनों के माध्यम से बच्चों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिन्हें बाल अधिकार कहा जाता है।

बाल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को एक सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक वातावरण मिले, जहाँ वह अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके। ये अधिकार बच्चों को शोषण, हिंसा और भेदभाव से बचाने के साथ-साथ उन्हें शिक्षा और अवसर भी प्रदान करते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जीवन और विकास का अधिकार। हर बच्चे को जन्म से ही जीने, पोषण पाने और स्वस्थ रहने का अधिकार प्राप्त है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम, पोषण योजनाएँ और स्वास्थ्य सेवाएँ इसी दिशा में कार्य करती हैं, ताकि बच्चों का समुचित विकास हो सके।

इसके बाद आता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है।

सुरक्षा का अधिकार भी बाल अधिकारों का एक महत्वपूर्ण भाग है। बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण, जैसे बाल मजदूरी, तस्करी और दुर्व्यवहार से सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस दिशा में बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियमए 1986 जैसे कानून बनाए गए हैं, जो बच्चों को खतरनाक कार्यों से दूर रखते हैं।

इसके अतिरिक्त, बच्चों को भागीदारी का अधिकार भी प्राप्त है। इसका अर्थ है कि बच्चों को अपनी बात रखने, अपनी राय व्यक्त करने और अपने जीवन से जुड़े निर्णयों में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए। यह अधिकार उनके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है।

बाल अधिकारों में समानता का अधिकार भी शामिल है, जिसके अनुसार किसी भी बच्चे के साथ धर्म, जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी बच्चों को समान अवसर और सुविधाएँ मिलनी चाहिए।

हालाँकि, भारत में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक कानून और योजनाएँ मौजूद हैं, फिर भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। बाल मजदूरी, कुपोषण, शिक्षा से वंचित रहना और बाल विवाह जैसी समस्याएँ आज भी समाज में देखने को मिलती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के साथ-साथ समाज और परिवार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

अंततः बाल अधिकार केवल बच्चों की सुरक्षा के लिए नहीं हैं, बल्कि यह एक सशक्त और विकसित समाज के निर्माण की नींव हैं। जब बच्चों को सही शिक्षा, सुरक्षा और अवसर मिलेंगे, तभी वे एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश के विकास में योगदान दे पाएंगे। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि बच्चों के अधिकारों का सम्मान करें और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मिलकर कार्य करें।

वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार: विस्तृत जानकारी

किसी भी समाज की सभ्यता और संवेदनशीलता का आकलन इस बात से किया जाता है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं, जिन्होंने अपने अनुभव, ज्ञान और परिश्रम से राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए उनके सम्मान, सुरक्षा और देखभाल को सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से भारतीय संविधान तथा विभिन्न कानूनों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें जीवन के अंतिम चरण में सम्मानजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन मिल सके। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है सम्मान और गरिमा का अधिकार। हर बुजुर्ग को यह अधिकार है कि उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए और उन्हें समाज में उचित स्थान मिले।

इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त है। इस संदर्भ में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 एक महत्वपूर्ण कानून है। इसके अनुसार, संतान या उत्तराधिकारी अपने माता-पिता या बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए बाध्य होते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते, तो वरिष्ठ नागरिक न्यायालय में शिकायत कर सकते हैं और भरण.पोषण की मांग कर सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार भी प्राप्त है। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ बढ़ जाती हैं, इसलिए सरकार द्वारा विशेष चिकित्सा सुविधाएँ, रियायतें और योजनाएँ चलाई जाती हैं। कई सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर और प्राथमिकता की व्यवस्था की जाती है।

इसके साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा का अधिकार भी दिया गया है। पेंशन योजनाएँ, बचत योजनाएँ और विभिन्न सरकारी सहायता कार्यक्रम उनके आर्थिक जीवन को स्थिर बनाए रखने में मदद करते हैं। इससे वे दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा का अधिकार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें किसी भी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार या शोषण से बचाया जाना चाहिए। यदि उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय होता है, तो वे पुलिस या संबंधित अधिकारियों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

हालाँकि, इन अधिकारों के बावजूद आज भी कई वरिष्ठ नागरिक उपेक्षा, अकेलेपन और आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। बदलती सामाजिक संरचना और व्यस्त जीवनशैली के कारण परिवारों में बुजुर्गों की स्थिति कमजोर होती जा रही है। ऐसे में समाज और परिवार दोनों की जिम्मेदारी है कि वे उनके अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें प्रेम तथा सम्मान दें।

अंततः वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार केवल कानूनी प्रावधान नहीं हैं बल्कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। जब हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, तभी एक सशक्त, संवेदनशील और सभ्य समाज का निर्माण संभव होता है।

सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, श्रमिक अधिकार : विस्तृत जानकारी

सूचना का अधिकार—

लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया गया। यह कानून नागरिकों को सरकारी कार्यों और निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है।

सूचना का अधिकार नागरिकों को सशक्त बनाता है, क्योंकि इसके माध्यम से वे सरकार से किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकते हैं– जैसे सरकारी योजनाओं का खर्च, परियोजनाओं की स्थिति या किसी निर्णय का आधार। यह अधिकार भ्रष्टाचार को कम करने और प्रशासन में पारदर्शिता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सूचना का अधिकार के तहत कोई भी नागरिक निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन देकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि संबंधित विभाग समय पर जानकारी नहीं देता, तो अपील करने का भी प्रावधान है। इस कानून ने आम नागरिक को सरकार के कामकाज में भागीदारी का अवसर दिया है।

हालाँकि, कुछ सूचनाएँ- जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीय मामलों से जुड़ी जानकारी, इस कानून के दायरे से बाहर रखी गई हैं। इसके बावजूद, सूचना का अधिकार लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक प्रभावी साधन है।

शिक्षा का अधिकार—

शिक्षा किसी भी व्यक्ति और समाज के विकास की आधारशिला है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू किया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा आर्थिक या सामाजिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे। इसके तहत निजी विद्यालयों में भी कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25: सीटों का आरक्षण निर्धारित किया गया है।

शिक्षा का अधिकार केवल स्कूल जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक और उचित सुविधाएँ भी शामिल हैं। यह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने में मदद करता है।

हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी और जागरूकता का अभाव इस अधिकार के पूर्ण क्रियान्वयन में बाधा बनते हैं। फिर भी, यह कानून भारत के भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

श्रमिक अधिकार—

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनके हितों की रक्षा के लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से श्रमिक अधिकार कहा जाता है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 और अन्य श्रम कानूनों के माध्यम से श्रमिकों को उचित वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

श्रमिकों को उचित वेतन, कार्य के निश्चित घंटे, अवकाश और स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा, उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण और भेदभाव से सुरक्षा दी गई है। महिलाएँ और बाल श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं।

श्रमिकों को संगठन बनाने और अपनी मांगों के लिए आवाज उठाने का अधिकार भी दिया गया है। इससे वे अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं और बेहतर कार्य परिस्थितियाँ प्राप्त कर सकते हैं।

फिर भी, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को कई बार इन अधिकारों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए इन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

उपभोक्ता अधिकार : विस्तृत जानकारी

उपभोक्ता अधिकार—

आज के बाजारवादी युग में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा अत्यंत आवश्यक हो गई है। इस उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू किया गया है, जो उपभोक्ताओं को शोषण और धोखाधड़ी से बचाने का कार्य करता है। उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण वस्तु प्राप्त करने का अधिकार है। यदि कोई उत्पाद या सेवा खराब या भ्रामक होती है, तो उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके अलावाए उपभोक्ताओं को सही जानकारी प्राप्त करने, अपनी पसंद से वस्तु चुनने और अपनी बात रखने का अधिकार भी है।

इस कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों (Consumer Courts) की स्थापना की गई है, जहाँ उपभोक्ता अपनी शिकायतों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करती है।

फिर भी, जागरूकता की कमी के कारण कई उपभोक्ता अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है।

निष्कर्ष—

सूचना का अधिकारी, शिक्षा, श्रमिक और उपभोक्ता अधिकार- ये सभी एक मजबूत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। ये अधिकार न केवल नागरिकों को सशक्त बनाते हैं, बल्कि लोकतंत्र को भी मजबूत करते हैं। इन अधिकारों की जानकारी और उनका सही उपयोग ही एक जागरूक और विकसित राष्ट्र की पहचान है।

पुलिस शिकायत कैसे करें? : एक मार्गदर्शन

किसी भी नागरिक के साथ यदि अन्याय, अपराध या उत्पीड़न होता है, तो उसे न्याय पाने का अधिकार है। भारत में हर व्यक्ति को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त है, जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। पुलिस शिकायत दर्ज कराना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होती है।

पुलिस शिकायत क्या होती है–

पुलिस शिकायत का अर्थ है किसी अपराध, धोखाधड़ी, मारपीट, चोरी, धमकी या अन्य अवैध गतिविधि के बारे में पुलिस को सूचित करना। गंभीर मामलों में इसे (First Information Report) के रूप में दर्ज किया जाता है।

पुलिस शिकायत करने के तरीके–

1. थाने में जाकर शिकायत करें–

-अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाएँ

-घटना की पूरी जानकारी लिखित या मौखिक रूप में दें

-पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करेगा

-एफआईआर की एक कॉपी लेना न भूलें (यह मुफ्त मिलती है)

2.ऑनलाइन शिकायत करें–

-आजकल कई राज्यों में पुलिस की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।

-राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ,

-ऑनलाईन कम्प्लेंट या एफआईआर रजिस्ट्रेशन विकल्प चुनें

-आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट करें

3. डाक या ई-मेल से शिकायत–

-आप अपनी शिकायत लिखकर संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) या पुलिस अधीक्षक (एसपी) को भेज सकते हैं

-यदि थाना एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो आप उच्च अधिकारियों को शिकायत भेज सकते हैं।

एफ आई आर और शिकायत में अंतर–

- एफआईआर गंभीर अपराध जैसे- चोरी, हत्या, बलात्कार में दर्ज होती है।

- शिकायत सामान्य मामलों में प्रारंभिक सूचना होती है।

महत्वपूर्ण अधिकार–

-पुलिस आपकी शिकायत दर्ज करने से मना नहीं कर सकती

-एफआईआर दर्ज न होने पर आप उच्च अधिकारी या न्यायालय जा सकते हैं।

-महिलाओं की शिकायत महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जानी चाहिए।

- रात में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है

विशेष हेल्पलाइन नंबर–

100/112 -आपातकालीन पुलिस सहायता

1091 -महिला हेल्पलाइन

1098 -बाल सहायता हेल्पलाइन

ध्यान रखने योग्य बातें–

* हमेशा सही और सटीक जानकारी दें

* झूठी शिकायत करने से बचें, यह दंडनीय अपराध है

* सबूत- फोटो, वीडियो, दस्तावेज आदि साथ रखें

* एफआईआर की कॉपी सुरक्षित रखें

निष्कर्ष —

पुलिस शिकायत करना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य दोनों है। इससे न केवल आपको न्याय मिलता है, बल्कि समाज में कानून और व्यवस्था भी बनी रहती है। जागरूक नागरिक बनकर अपने अधिकारों का सही उपयोग करना ही एक सुरक्षित और मजबूत समाज की नींव है।

एफ आई आर और कानूनी सहायता— एक विस्तृत जानकारी

किसी भी अपराध या अन्याय की स्थिति में नागरिकों के लिए न्याय प्राप्त करने का सबसे पहला कदम FIR (First Information Report) दर्ज कराना होता है। इसके साथ ही, कानूनी सहायता (Legal Aid)की व्यवस्था भी लोगों को न्याय तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

FIR क्या होती है?–

FIR का अर्थ है किसी संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की पहली सूचना, जिसे पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है।

यह प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 154 के अंतर्गत आती है।

संज्ञेय अपराध वे होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, जैसे– चोरी, हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी,

FIR कैसे दर्ज कराएँ?–

1. पुलिस थाने में–

-नजदीकी थाने में जाकर घटना की जानकारी दें।

- पुलिस अधिकारी FIR लिखेगा

- जानकारी सही होने पर हस्ताक्षर करें

-FIR की कॉपी मुफ्त प्राप्त करें

2. ऑनलाइन FIR —

-राज्य पुलिस की वेबसाइट/ऐप पर जाकर शिकायत दर्ज करें

3. ज़ीरो FIR (Zero FIR)–

-घटना किसी भी क्षेत्र में हुई हो, आप किसी भी थाने में FIR दर्ज करा सकते हैं

- बाद में केस संबंधित थाने को ट्रांसफर कर दिया जाता है

4. FIR से जुड़े अधिकार–

-पुलिस FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकती

-FIR दर्ज न होने पर आप SP (पुलिस अधीक्षक) या मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं

-महिलाओं की शिकायत महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जानी चाहिए

-FIR की कॉपी लेना आपका अधिकार है

5. कानूनी सहायता (Legal Aid) क्या है?

कई बार लोग आर्थिक स्थिति के कारण वकील नहीं कर पाते। ऐसे में सरकार द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। यह व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत की गई है।

किन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है?–

-महिलाएँ और बच्चे

-गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति

-अनुसूचित जाति/जनजाति

-दिव्यांग व्यक्ति

-हिरासत में बंद व्यक्ति

कौन देता है कानूनी सहायता?–

-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)

-यह संस्था पूरे देश में मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराती है

-राज्य और जिला स्तर पर भी इसके कार्यालय होते हैं

कैसे प्राप्त करें कानूनी सहायता?–

-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) में आवेदन करें

-नजदीकी अदालत में संपर्क करें

-हेल्पलाइन और कानूनी सहायता केंद्रों का उपयोग करें

ध्यान रखने योग्य बातें–

* हमेशा एफआई आर की कॉपी सुरक्षित रखें
* घटना की सही जानकारी दें
* किसी भी दस्तावेज या सबूत को संभालकर रखें
* जरूरत पड़ने पर तुरंत कानूनी सहायता लें

निष्कर्ष—

एफआई आर और कानूनी सहायता दोनों ही न्याय प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन हैं। एफआई आर अपराध के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का पहला कदम है, जबकि कानूनी सहायता यह सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, न्याय प्राप्त कर सके।

हमारे साथ करें नए व्यापार की शुरुआत कम लागत में

सीमेन्ट ब्राण्ड

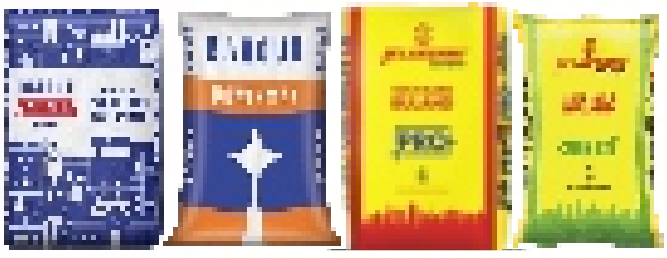

वालपुट्टी व व्हाईट सिमेन्ट

मूंगिया, बजरी, बालूरेत, गिट्टी, लाल ईंट, पीओपी, खड्डी, टाईल्स, एडीसिव इत्यादि अन्य मैटीरियल उपलब्ध है।

बड़े प्रोजेक्ट के लिए कम्पनी से सीधा आपके प्रोजेस्ट पर होलसेल रेट में प्रॉडक्ट पूरे भारत में सप्लाई की सुविधा के साथ

ऑर्डर के लिए- 9460087795 पर हाय लिखकर ऑप्शन फॉलो करें।

SUPER SHAKTI
TMT SARIYA

ENDURA

BullMaxx

पूरे विश्व के काम में ली जाने वाली आधुनिक ईंटें

Orilite

JAI JASOL
Building Material

जय जसोल बिल्डिंग मैटीरियल, बालोतरा

9460087795, 9887700059

www.JAIJASOLBM.org

We are at-

मानवाधिकार फाउंडेशन

सेवा ही धर्म है धर्म ही सेवा

निमार्ण योजना

वृद्धाश्रम—अनाथालय—वैदिक गुरुकुल—गौशाला

पर्यावरण संरक्षण—

जल संरक्षण

पुराने स्मारकों का जीर्णोद्धार

योग शिविर

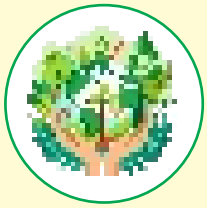

समाजिक उत्थान—

शिक्षा निधि योजना

विवाह निधि योजना

मायरा (भात) निधि योजना

मृत्यु उपरान्त आर्थिक सहयोग निधि योजना

कन्या विवाह

सेवा सम्मान—

हेल्थ शिविर

नेत्र जांच शिविर

दिव्यांग साइकिल वितरण

रक्तदान शिविर

शिक्षा सामग्री वितरण

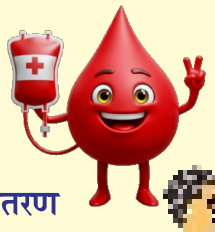

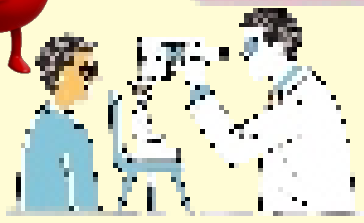

छोटे लघु उद्योगों में सहयोग करके बढ़ावा देना

महिलाओं को घरेलु उद्योगों को बढ़ावा देना

We are at-

मुख्य ऑफिस: **जयपुर (राज.)- 9251130059** www.nmfngo.org